न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–रिछपाल सिह बुरडक आर0ए0एस0
अपील संख्या :–03/2018
अपीलान्टः–

1. लालदास पुत्र श्री प्रभुदास जाति स्वामी, निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनूं, जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लाडनूं।

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री समन्दर सिंह अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश एवं निर्णय दिनांक 18.01.2018 न्यायालय तहसीलदार लाडनूं अन्तर्गत प्रकरण संख्या 03/2018 राजस्थान सरकार बनाम लालदास के विरूद्ध

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–16.08.2021

{1} यह अपील विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एल आर एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण संख्या 03/2018 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम लालदास निर्णय दिनांक 18.01.2018 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील लाडनूं में पटवारी हल्का सुनारी द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 131 किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजकीय भूमि में अपीलार्थी/अप्रार्थी ने 7 बीघा भूमि में से रकबा 0.05 बिस्वा भूमि पर खेत में मिलाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिस पर दिनांक 18.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली व जुर्माना से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिसे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी यह अपील पेश की है।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

{3} (1) यह हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3} (2) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री व साक्ष्य के विपरीत निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है। तथा अपीलान्ट/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) यह है कि अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 130 व खसरा नम्बर 158 दोनों भूमियॉ पैतृक कृषि भूमि रही है, जो पूर्व में अपीलान्ट के पिता प्रभुदास की खातेदारी की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

रही है तथा खसरा नम्बर 130 के चिपते ही सींव–सींव उसके भाई सीताराम के बंट में आया खसरा नम्बर 158 में से आम रास्ता सदैव से रहा है तथा उक्त रास्ते को ही खसरा नम्बर 131 की भूमि मानते हुए वर्ष 2005–06 के करीब सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी खर्चे पर मुरडीया सड़क बनाई गई थी तथा वर्तमान में भी उक्त सड़क/रास्ता खुला है तथा उक्त सड़क/रास्ता की भूमि का वर्ष 2005/2005 में सीमाज्ञान/सीमाकंन तत्कालीन रेवन्यू कर्मचारीयों के द्वारा किया जाकर उक्त मुरड़ीया सड़क पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बनाई गई थी। जबकि खसरा नम्बर 359/158 पुराने खसरा नम्बर 158 सरहद विश्वनाथपुरा में से होकर रेवन्यू रिकॉर्ड में कभी कोई रास्ता दर्ज ही नही रहा है।

{3}(4) यह है कि उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 158 में से वर्ष 2005–2006 में पी.डब्ल्यूच.डी द्वारा जो मुरडीया सड़क बनाई गई थी तथा जिस पर आज मुरडीया सड़क मौके पर चालू है तथा आवागमन भी चालू है। और अधिक खुलासा के लिए अपीलान्ट की ओर से नजरी नक्शा अनुसूची क प्रस्तुत है, जिसमें मार्क ए से बी भाग मुरड़ीया सड़क वर्तमान में आवागमन हेतु चालू है। अब अपीलान्ट के खेत में से एक ओर दुसरा रास्ता नजरी नक्शा में दर्शित सी से डी कायम किया जाना विधि विरूद्ध है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(5) यह है कि अपीलान्ट कि खिलाफ राजनैतिक द्वैषता पूर्वक यह कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 131 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता आज भी चालू है। जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध ड्रोप किया जाना न्याय हित में है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
डीडवाना

{3}(6) यह है कि मौके पर नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु ए से बी रास्ता आज भी खुला है तथा अब उपरोक्त आदेश की आड़ में नया रास्ता कायम किया जाना विधि की मंशा नहीं है तथा अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 130 में से अगर एक और रास्ता कायम किया जाता है तो अपीलान्ट के खेत में से दो रास्ते कायम हो जावेगें, जिससे अपीलान्ट की सारी कृषि भूमि रास्तों में ही चली जावेगी। उपरोक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के जीवन यापन का आधार है। अगर उपरोक्त निर्णय के आधार पर एक और रास्ता कायम किया जाता है तो अपीलान्ट को अजहद भारी नुकसान होगा। पी.डब्ल्यू.डी द्वारा जो मुरड़ीया सड़क का निर्माण किया गया था, उस वक्त राजस्व कर्मचारियॉ द्वारा नाप–चौक करके इसी को खसरा नम्बर 131 रास्ता की भूमि मानकर मुरडीयॉ सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{4 } उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 06.02.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 06.02.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/2018/62 दिनांक 17.04.2018 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.12.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खाता संख्या 194 की जमाबदी व नक्शा की प्रतिलिपी पेश की है।

{5} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपील के मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन है कि तहसीलदार लाडनूं द्वारा उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 18.01.2018 किया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट/अप्रार्थी ने दिनांक 06.02.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अतः अपीलान्ट की अपील को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक की तिथि से एक माह की अवधि में अपील पेश कर दिये जाने से अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं।

{6} बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है। पत्रावली पर भी कोई साक्ष्य नही मिले है और न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है। अपीलान्ट/अप्रार्थी को साक्ष्य सबुत तथा पक्ष रखने का कोई अवसर भी नहीं दिया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 130 व खसरा नम्बर 158 दोनों भूमियॉ पैतृक कृर्षि भूमि रही है, जो पूर्व में अपीलान्ट के पिता प्रभुदास की खातेदारी की रही है तथा खसरा नम्बर 359/158 पुराने खसरा नम्बर 158 सरहद विश्वनाथपुरा में से होकर राजस्व रिकॉर्ड में कभी कोई रास्ता दर्ज ही नहीं रहा है तथा नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता आज भी चालू है। अब उक्तरोक्त आदेश की आड़ में नया रास्ता कायम किया जाना विधि की मंशा नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{7} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का सुनारी की रिपोर्ट जिसके अनुसार ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नंबर 131 कुल रकबा 7 बिघा भूमि किस्म गै0मु0रास्ता में से रकबा 0.05 बिस्वा भूमि अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान करने पर भी अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा भूमि गै0मु0रास्ता पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है। गै0मु0रास्ते की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(v) के अनुसार कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। गै0मु0रास्ते की भूमि सार्वजनिक भूमि है जिससे होकर सार्वजनिक आवागमन होता है। गांवों में लोग इन रास्तों से अपने खेतों पर आना जाना, मवेशी ले जाना उनको वापस लाना तथा खेती की उपज, घास इत्यादि को लाना–ले जाना करते है। अगर रास्ता बन्द होता है तो इनमे विपरित प्रभाव पड़ता है। यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का सुनारी द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 26.17.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

2017, जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक भरनावां द्वारा की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नंबर 131 कुल रकबा 7 बिघा किस्म गै0मु0रास्ता में से रकबा 0.05 बिस्वा भूमि खेत में मिलाकर अतिक्रमण किया गया है जो हटाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही हाने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

–:आदेश:–

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.01.2018 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)